न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 82/12
(जीसीएमएस संख्या 2012/00115)

निर्णय दिनांकः– 13-06-202

1. गोपालराम पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी 33 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27–03–2001
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 27–03–2001 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 30 केजडी के मुरब्बा नम्बर 186/47 के विशेष आवंटन हेतु इस्तदुआ किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन कर दिया गया तथा आराजी जैर की कुल कीमत 101682/– की 35 प्रतिशत राशि 35,589/– जरिये चालान संख्या 406969/26 दिनांक 22–03–2000 को जमा करवाने के उपरान्त आवंटन पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–03–2001 के विरूद्व अपील दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

10—05—12 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—05—2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष वतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 30 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 186/47 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात् अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन दिनांक 22—03—2000 को करते हुए आवंटन पट्टा जारी किया गया। उक्त आवंटन पट्टे में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि प्रथम जनवरी/जुलाई की 1 तारीख को किश्त जमा करवाई जायेगी तथा आवंटन की किश्त देय होने पर जमा कराने में असफल रहने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में आवंटन आदेश प्राप्त करने के उपरान्त अपीलांट् द्वारा आवंटन पट्टे में निहित शर्तो के अनुसरण में बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप) क्षेत्र में आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 की धारा 17 (8) के प्रावधानों के तहत अपीलांट् का आवंटन किश्तों के अभाव में निरस्त किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् स्वयं द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए बकाया किश्तें जमा नहीं करवाई गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट स्वयं अपने दायित्यों के प्रति सावचेत नहीं रहा है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाने की दशा में अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष आज दिनांक तक वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि आराजी जैर भूमि आज दिनांक को अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं होकर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 27–03–2001 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13/6/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर